राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 15 (1) प्राशि / 2017 जयपुर, दिनांकः 16/02/2017

1. जिला कलक्टर –समस्त।
2. निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा. राज. जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा), समस्त।

विषयः ग्राम पंचायत सहायकों को लगाये जाने के सम्बन्ध में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 2108 / 2017 घमण्डा राम व अन्य बनाम राज्य सरकार याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 16.02.2017 की अनुपालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.02.2017 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों को लगाये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 2108 / 2017 घमण्डा राम व अन्य बनाम राज्य सरकार याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 16.02.2017 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 16.02.2017 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु यदि प्रेरकों द्वारा कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र जारी किये जाने की मांग की जाती है तो उसे संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति / जिला साक्षरता अधिकारी द्वारा कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र आज दिनांक 16.02.2017 या 17.02.2017 को प्रातः काल तक जारी किया जावे एवं पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उसका आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2017 को प्रातः 11.00 बजे तक स्वीकार किये जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्यमंत्री (प्रा0शि0 स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
9. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
11. निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा. राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय की पालना सुनिश्चित करने के लिये समस्त जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करावें।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय की पालना सुनिश्चित करने के लिये समस्त पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करावें।
13. संयुक्त परामर्शी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग।
14. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
15. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद –समस्त।
16. उप निदेशक प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
17. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), जयपुर एवं जोधपुर।
18. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
19. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव